कार्यालय महानिबन्धक

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विषय – 09 निष्प्रयोज्य वाहनों एवं लगभग 100 पुराने टायरों की नीलामी।

नीलामी की तिथि – 02 अगस्त 2025, दिन–शनिवार

स्थान – मा0 उच्च न्यायालय परिसर, गेट न0 3 (बी) के बगल में

समय – प्रातः 11:30 बजे

रजिस्ट्रेशन नम्बर (होण्डा सिटी)

S.N.	Registration No.	Make/Model
1	UP 70 AG 1080	Honda City’2012
2	UP 70 AG 1092	Honda City’2012
3	UP 70 AG 1095	Honda City’2012
4	UP 70 AG 1097	Honda City’2012
5	UP 70 AG 1179	Honda City’2012
6	UP 70 AG 1267	Honda City’2012
7	UP 70 AG 1268	Honda City’2012
8	UP 70 AG 1064	Honda City’2012
9	UP 32 BG 5008	Honda City’2009

एवं लगभग 100 पुराने टायर।

नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. वाहन ‘जहाँ है जैसा है’ कि स्थिति में नीलाम तथा निर्गत किया जायेगा।
2. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलामी होने वाले वाहनों का नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात 01.08.2025 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक मा0 उच्च न्यायालय परिसर, गेट न0 3 (बी) के बगल में अवलोकन किया जा सकता है।
3. वित्तविभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेसन न0 36/2017–सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांकित 13.10.2017, के अधीन जारी सर्कुलर के अनुसार बोलीदाता का जी0एस0टी0 मे पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधारकार्ड धारक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0 मे अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
4. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

...क्रमशः

5. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 20,000/—(रू0 बीस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा तथा जी0एस0टी0 में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

6. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि. जमा करेगा।

7. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि को नीलामी से एक सप्ताह में जमा करानी होगी । यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि उपरोक्त के अनुरूप जमा न कराये जाने पर बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

8. निष्प्रयोज्य नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप से स्वीकृत मान्य होगा।

9. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली दाता को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर0टी0ओ0 आफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स, एन्श्योरेंस एवं जी0 एस0 टी0 जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।

10. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

11. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Sd

महानिबन्धक

उच्च न्यायालय,इलाहाबाद